

चुनाव आवश्यक

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक : एफ 1(39)आ/बी/निर्वा./2018/2423

जयपुर, दिनांक : 14-3-19

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर),
राजस्थान।

विषय:- लोकसभा आम चुनाव, 2019 -बिना अनुमति के अवकाश/
मुख्यालय नहीं छोड़ने के संबंध में।

महोदय,

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10.03.2019 को प्रेस नोट जारी कर लोकसभा आम चुनाव-2019 के चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा करने के साथ ही सम्पूर्ण राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है।

लोकसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। आवश्यकतानुसार पूर्वानुमति SMS/Whatsapp के द्वारा भी प्राप्त की जा सकेगी।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिले के समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारीगणों को आपकी पूर्व अनुमति के बिना अवकाश/मुख्यालय नहीं छोड़ने के लिए आदेश जारी करेंगे। कृपया पालना कर अवगत करायें।

भवदीया,



(डॉ. रेखा गुप्ता)

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर